"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मई 2014— ज्येष्ठ 5, शक 1936

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-17/2012/14-1. — भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में ,-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (3) में अंक, शब्द एवं कोष्ठक "73 (10 पद सांख्येत्तर)" के स्थान पर, अंक "82" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (3) में अंक "427" के स्थान पर, अंक "436" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	सेवा /पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिये]	अन्य सेवा से व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिये]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	82	10%	90%	-"

4. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	सेवा /पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिये]	अन्य सेवा से व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिये]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी	436	100%	-	-"

5. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (5) में, चिन्ह एवं शब्द "/बायो-टेक्नोलॉजी" को विलोपित किया जाये.

6. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (5) में, चिन्ह एवं शब्द "/बायो-टेक्नोलॉजी/जीव विज्ञान" को विलोपित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. पाण्डेय, सचिव.

Raipur, the 26th May 2014

NOTIFICATION

No. F 3-17/2012/14-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Horticulture Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In column (3) of serial number 1 of Schedule-I, for figures, words and parenthesis "73 (10 Post Super numerical)", the figure "82" shall be substituted.

2. In column (3) of serial number 3 of Schedule-I, for the figure, "427", the figure "436" shall be substituted.

3. In Schedule-II, for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

S. No.	Name of the Service/Post	Total Number of duty posts	Percentage of the duty posts to be filled in		
			By direct recruitment [See rule 6(1)(a)]	By promotion of the members of the service [See rule 6(1)(b)]	By transfer of person from other Service [See rule 6(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Senior Horticulture Development Officer	82	10%	90%	-"

4. In Schedule-II, for serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

S. No.	Name of the Service/Post	Total Number of duty posts	Percentage of the duty posts to be filled in		
			By direct recruitment [See rule 6(1)(a)]	By promotion of the members of the service [See rule 6(1)(b)]	By transfer of person from other Service [See rule 6(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Rural Horticulture Extension Officer	436	100%	-	-"

5. In column (5) of serial number 2 of Schedule-III, the symbol and words "/Bio-technology" shall be deleted.

6. In column (5) of serial number 3 of Schedule-III, the symbol and words "/Bio-technology/Biology" shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. PANDEY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.